(80)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर केम्प सागर म0प्र0

नि.प्र.क. सन्

लुखरु पिता स्व0 खिलान चमार उम्र 49 साल सा0 ग्राम बनहरी कला, तह. अजयगढ जिला पन्ना म0प्र0 .....निगरानीकर्ता

विरुद्ध

1. हरि तनय पट्ठा अहोर
2. मुन्नी तनय पट्ठा अहोर
3. रघुवर तनय पट्ठा अहोर
4. कल्लू तनय पट्ठा अहोर
5. फूला पत्नि स्व0 हत्तू अहोर

सभी निवासी ग्राम बनहरी कला, तह0 अजयगढ जिला पन्ना म0प्र0

6. मध्य प्रदेश शासन .....अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू.रा.संहिता 1959

महोदय,

निगरानीकर्ता की ओर से निम्नलिखित निगरानी प्रस्तुत है:–

1 यह कि, प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि, अनावेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी अजयगढ के समक्ष अपील सहायक अधिक्षक भूअभिलेख पन्ना के प्र0 क0 522/अ19/1991–92 आदेश दि0 31.03.91 की जानकारी पटवारी से नकल लेने पर दि0 24.03.2003 को जानकारी होना लेख कर प्रस्तुत की, जिसे अनुविभागीय अधिकारी अजयगढ जिला पन्ना द्वारा न्यायालयीन प्रकरण क0 68/अ–19 वर्ष 2002–03 में पारित आदेश दि0 15.07.2003 को अतिविलंब से प्रस्तुत किये जाने के कारण म्याद के बाहर मानकर निरस्त किया गया ।

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R 3455/II/15 जिला पन्ना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
3-3-16	मैंने आवेदक अधिवक्ता के ग्राह्यता पर तर्क सुने और अभिलेख का परिशीलन किया। प्रकरण में अनावेदकगण को वर्ष 1980 में ASLR- भूप्रबंधन द्वारा पट्टा दिया गया था, जिसे ASLR पन्ना दल क्र-2 द्वारा उनके प्र.क्र. 522/अ19/91-92 के आदेश दि. 31-3-91 से निरस्त किया गया। इसके विरुद्ध प्रस्तुत अपील को SDO ने म्याद बाहर मानते हुए निरस्त कर दिया। इसके विरुद्ध की निगरानी में अपर कले. ने आक्षेपित आदेश दि. 15-7-03 से निगरानी स्वीकार करते हुए, पट्टा निरस्तीकरण आदेश दि 31-3-91 निरस्त कर दिया। इसके विरुद्ध आवेदक करनवर ने यह निगरानी रा.मं. में प्रस्तुत की जिसमें उन्होंने कहा है कि पट्टे से संबंधित भूमि के बन्दोबस्त-जाद के रिकार्ड में उनकी भूमि सम्मिलित होने से वे प्रभावित हैं, किन्तु अपर कलेक्टर ने उन्हें बिना सुने अपना आदेश किया है, जिसकी वजह से उन्हें जानकारी भी विलम्ब से मिली। प्रकरण में विचारोपरान्त मैं यह पाता हूं कि अपर कले. ने	

R 3455/11/15 पन्ना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	प्रेसीकर कार्यवाही तथा आदेश	

आक्षेपित आदेश दि 15-7-03 में केवल यह लिख कर अपना निर्णय पारित किया है कि "अधीनस्थ न्या. द्वारा आवेदकों का पक्ष स्वत्व विवाद होने के आधार पर निरस्त किया है, जो विधि के परिप्रेक्ष्य मे त्रुटिपूर्ण है"।

उन्होंने ऐसे स्वत्व के प्रश्न का खुलासा, उसकी विवेचना और उसपर अपना अभिमत और निष्कर्ष बोलते स्वरूप मे अपने आदेश में अभिलिखित नहीं किया है, जिसकी वजह से उनका आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

अतः मैं अपर कले. का आक्षेपित आदेश दि. 15-7-03 निरस्त करता हूँ। साथ ही, अपर कले. पन्ना को यह निर्देश देता हूँ कि वे अपने न्यायालय का प्र-क्र. ~~[illegible]~~ 30/निग/02-03 पुनः खोलें, और उसमें आवेदक/उत्तरवादीगण/अनावेदकगण तथा समस्त हितबद्ध व्यक्तियों को सूचना एवं पक्ष समर्थन का समुचित अवसर देते हुए स्वस्पष्ट और बोलते स्वरूप का आदेश, उन्हें रा.मं. के इस आदेश की संसूचना के अधिकतम 6 माह के भीतर, गुणदोष पर पारित करें। तब तक के लिए आक्षेपित आदेश दि. 15-7-03 प्रभावहीन रहेगा।

प्रस्तुत कारणों के प्रकाश मे, न्यायहित में, रा.मं. में आने मे हुआ विलम्ब माफ किया जाता है। आदेश पारित। पक्षकार और अपर कले पन्ना सूचित हों। प्रकरण समाप्त। दा.द.हो।

3.3.16